



कार्यालय :
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई०पी०सं०-०३-११
क्रमांक २१०/२०१७
आरबीई सं०-१११/२०१७
सं० ई/९/१८/भाग-१/चार

दिनांक ११-९-२०१७

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का
कार्यान्वयन मुख्य संरक्षा अधिकारियों/संरक्षा अधिकारियों के लिए विशेष
भत्ता।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं० ई(पी एण्ड ए)२०१७/एसपी-१ (डब्ल्यू एस-२) दिनांक
३०.०८.२०१७ की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर
प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(यू० पी० सिंह)
उपमुकाधि, /अर ज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- १- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - ४० प्रतियों में।
- २- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - ०२ प्रतियों में।
- ३- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - ०२ प्रतियों में।
- ४- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - ०१ प्रति में।
- ५- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर०-०२ प्रतियों में।
- ६- मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - ०१ प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

06 SEP 2017

PA

सम्भव

सं.ई(पी एंड ए)-2017/एसपी-1/डब्ल्यूएस-2

महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय सहायकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयाँ

विषय: सरकार द्वारा स्वीकृत भातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन - मुख्य संरक्षा अधिकारियों/संरक्षा अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता।

भत्तों के संशोधन के संबंध में सातवें केंद्रीय आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति सहर्ष यह निर्णय लेते हैं कि, वर्कशाप केंद्र के वरिष्ठ पर्यवेक्षकों (चाहे वे वर्कशाप अथवा पीसीओ में कार्य कर रहे हों) को जब मुख्य संरक्षा अधिकारी/संरक्षा अधिकारियों के रूप में प्रतिनिधित्व पर तैनात किया जाता है तो उन्हें मूल वेतन के 6 प्रतिशत की दर पर विशेष भत्ता दिया

2. ~~नियम~~ की ~~नियमित~~ दर 1 जुलाई, 2017 से स्वीकार्य होगी।
3. ~~इसके अतिरिक्त~~ 24.07.2008 के पत्र सं. ई(पी एंड ए)-2008/एसपी-1/डब्ल्यूएस-1 में दी गई अन्य निर्बंधन एवं शर्तें अनिवार्य होंगी।
4. ~~इसके अतिरिक्त~~ ~~इसके अतिरिक्त~~ की सहमति से जारी किया जाता है।
5. कृपया नमूने में

(अनिल कुमार)

उप निदेशक/ई(पी एंड ए)-I

रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 30.08.2017

संज्ञा

[illegible]

藏北之旅

कृते दत्त आयुक्त/रैलें

नं० दिनांक 30.08.2017

सं.ई(पी एवं ए)-2017/रसजे-1344-2

प्रतिलिपि प्रेषित:-

३५ अतिरिक्त प्रतियाँ